

न्यायालय सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।
पीठासीन अधिकारी- श्रीमती पारूल कुमारी, उ०प्र०न्यायिक सेवा(यू.पी. 03546)

UPHP120001592004

COMPLAINT CASE/20/2004

परिवाद संख्या-20/2004
श्रीमती रीना बनाम अनिल आदि
अंतर्गत धारा-406, 506 भा.दं.सं.
थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक-01.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली वर्तमान में अभियुक्तगण के समन में नियत चल रही है। पत्रावली पर परिवादनी **श्रीमती रीना पुत्री राजपाल** न्यायालय उपस्थित नहीं आ रही है न ही परिवादनी की तरफ से उसके अधिवक्ता पत्रावली पर उपस्थित आ रहे हैं। परिवादिनी को पैरवी हेतु दिनांक 08.05.2026 को अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है, परंतु परिवादिनी आज की तिथि पर भी उपस्थित नहीं है, न ही उसके द्वारा उक्त वाद की पैरवी की जा रही है। परिवादनी की ओर से धारा 204 दं०प्र०सं० का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

आदेश

अतः परिवादनी की ओर से धारा 204(4) दं०प्र०सं० के तहत पैरवी न किए जाने के कारण परिवाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज(जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।